आई.सी.आर.जी (मनरेगा) के अंतर्गत

एकीकृत विकास कार्य योजना

बिहार सरकार

IPE GLOBAL
Expanding Horizons. Enriching Lives.

pwc

आई.सी.आर.जी परियोजना

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलेपमेंट(DFID) द्वारा संयुक्त रूप से देश के 3 पिछड़े राज्यों के 103 पिछड़े प्रखंडों का चयन Infrastructure for Climate Resilient Growth (ICRG) परियोजना के तहत मनरेगा कार्यों को जलवायु अनुकूलन बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इनमें से बिहार राज्य के भी 35 प्रखण्डों का चयन किया गया है।

ऐसा पाया जा रहा है, कि आई.सी.आर.जी के लिए चयनित प्रखंडों में जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संसाधनों का आजीविका पर प्रभाव में निरंतर कमी देखी जा रही है। जहां उत्तरी बिहार में बाढ़ की आशंका बढ़ती चली जा रही है, वहीं दक्षिण बिहार में अत्यधिक सूखा के चपेट में आने के कारण इसका नकारात्मक प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक पड़ रहा है। किसानों की कृषि पर जोखिम बढ़ता जा रहा है। सिंचाई क्षमता में गिरावट एवं जल संरक्षण में ध्यान केन्द्रित ना होने के कारण कृषि अर्थव्यवस्था में कमी एवं राज्य में गरीबी स्तर बढ़ता जा रहा है।

आई.सी.आर.जी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु अनुरूप उल्लेखित प्रखंडों के कमजोर समुदायों के साथ, मनरेगा के तहत, गुणवत्तायुक्त, टिकाऊ एवं जलवायु अनुरूप परिसंपत्तियों का निर्माण करना है।

आई.सी.आर.जी परियोजना के मुख्य उद्देश्य–

- राज्य स्तर पर मनरेगा कार्यों में क्रियान्वयन, कार्ययोजना एवं आकलन में सुधार स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए लाना।
- कार्यक्रम में सहयोगी तकनीकी संस्थान एवं संबंधित लोगों का क्षमतावर्धन करना, जिससे मनरेगा कार्य की गुणवत्ता बढ़े।
- मनरेगा कार्यप्रणाली एवं कार्यप्रक्रिया को मजबूत बनाना ताकि आजीविका में सुधार के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण बेहतर कार्ययोजना के तहत हो।

जलवायु परिवर्तनः

गर्मी में तापमान में बढ़ोत्तरी, ठंड में तापमान में कमी, बरसात में अधिक/कम/असमय वर्षा होना। सामान्य प्राकृतिक बदलाव को हम स्वीकार करते हैं एवं उसके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन यह बदलाव यदि सामान्य से अधिक हो जो हमारे गणना एवं अपेक्षा के अनुरूप ना हो और जिसका प्रभाव लंबे समय तक रहे तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है।

जलवायु परिवर्तन के कारणः

हमारे अधिकतर ग्रामीण कार्य से कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन होता है। ये गैसें सूर्य की किरणों को धरती के वायुमंडल के अंदर तो आने देती है परंतु बाहर नहीं जाने देती है। इससे धरती के तापमान में वृद्धि हो जाती है। ये जलवायु को प्रभावित करने के कारकों (तापमान, वर्षा, हवा) को असर करते हैं। इसे विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन होना कहते हैं।

जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभावः

- सामान्य स्थिति से स्थानीय मौसम में अधिक बदलाव।
- भारत के अधिकतर क्षेत्रों में बार बार सूखा पड़ने की स्थिति में बढ़ोत्तरी।
- बाढ़ की स्थिति आना।
- तय सीमा में वर्षा का वितरण सही ना होना।
- 65 प्रतिशत कृषि आधारित लोगों पर प्रभाव, आजीविका, जल स्त्रोत, बिमारियों का प्रकोप हो जाता है। जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते हुए दुरूपयोग से कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होना।
- उपयोगी एवं जलवायु अनुकूल संसाधन को बढ़ाने के तरीकों पर कार्य होना।
- लगातार फसल पैदावार में कमी आना।

एकीकृत प्रबंधन की जरूरतः

प्राकृतिक संसाधन का एकीकृत विकास दूरगामी एवं तुरंत पड़ने वाले प्रतिकुल प्रभाव के कम करने में सहायक है। इस तरह के प्रयास से चार क्षेत्र में अच्छे परिणाम आते हैं।

- क्षेत्र में आने वाले बाढ़ और सूखा से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। जमीन में जल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
- जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
- सरकार को पर्यावरण अनुकूलन योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगा तथा वातावरण की स्वच्छता के साथ साथ किसान के नुकसान को कम किया जा सकता है।
- सरकार को पर्यावरण अनुकूलन योजनाओं को बनाने में मदद मिलेगा तथा वातावरण की स्वच्छता के साथ साथ आय वृद्धि के लिए अवसर बढ़ेगा।
- कृषि विकास कार्यक्रम में अनुकूल मौसम के साथ ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का लक्ष्य का विभिन्न तकनीक को अपनाकर पाया जा सकता है।

कार्य करने का तरीकाः आई.सी.आर.जी परियोजना मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण, भूमि विकास के कार्य का चयन प्रर्द ान हेतु लिया जाएगा।

प्रथम वर्षः (2016–17)– एक कार्य प्रति जिले में लिया जाएगा।

द्वितीय वर्षः (2017–18)– 04 कार्य प्रति जिले में लिया जाएगा।

तृतीय वर्षः (2018–19)– 04 कार्य प्रति जिले में लिया जाएगा।

- प्रर्दशित संरचना के आस पास हितग्राही का चयन किया जाएगा जो जोत के आधार पर वंचित लाभ के आधार पर और उनके संस्थान के आधार पर होगा।
- चयनित किसान के साथ योजना की जानकारी दी जाएगी, और चयनित योजना के लिए सहमति ली जाएगी।
- इसके पश्चात विभाग के नियमानुसार उन हितग्राही की सूचना दे कर कार्यवाही हेतु अग्रसित किया जाएगा।
- चयनित हितग्राही के सूची पर आई.सी.आर.जी के किसी अधिकारी का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

1. **मिशन फॉर इंन्टिग्रेटेड डेवलेवमेंट ऑफ हार्टिकल्चर विभाग द्वारा संचालित योजना में निम्न योजना के साथ कार्य करना है।**

- पपीता की खेती
- अमरूद की अति सधन बागवानी
- आम, लीची, अमरूद एवं आंवला के साथ समेकित सधन बागवानी
- फूल की खेती
- मसाला फसलों की खेती
- मधुमक्खी कॉलोनी बक्सा
- हाईब्रिड टमाटर का क्षेत्र विस्तार
- बगीचे में अंतवर्ती खेती–हल्दी, अदरख, ओल

2. **पर्यावरण एवं वन–विभाग द्वारा संचालित योजना में निम्न योजना के साथ कार्य करना है।**

- विभागिय पौधशालाओं से पौधा की खरीद–इसमें पौधशाला से 100 से कम संख्या में पौधों को निर्धारित दर पर प्राप्त किया जा सकता है।
- **कृषि वानिकी योजना–** हरियाली मिशन के अंर्तगत लधु कृषक को अपने खेत/बगान/मेड़ पर लगाने के लिए निःशुल्क पौधा दिया जाता है।
- **हर परिसर हरा परिसर योजना–** इस योजना से सरकारी तथा गैर सरकारी परिसर में 50 से 1000 पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं।

3. पशु एवं मत्स्य संसाधन के द्वारा विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सकता है।

- बकरी फार्म स्थापना के लिए अनुदान की योजना हेतु आवेदन।
- लेयर मुर्गा पालन को बढ़ावा देने हेतु अनुदान
- मत्स्य विकास की योजनाएं
- अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए योजना
- अन्य योजनाएं जिसके गांव स्तर पर पशु, स्वास्थ, बीमारी उपचार एवं नस्ल सुधार की योजना

4.कृषि विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा सकता है।

- बीज ग्राम योजना जिसमें आधार/प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।
- धान की मिनीकीट योजना में अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है।
- कृषि यांत्रिकरण में कृषि यंत्रों पर अनुदान की व्यवस्था की जाती है।
- जैविक कृषि प्रोत्साहन योजना
- जीरो टीलेज तकनीक से गेंहू का प्रत्यक्षण

5. मृदा जल संरक्षण निदेशालय द्वारा मृदा जल संरक्षण एवं सिंचाई क्षमता बढ़ाने हेतु विभिन्न योजनाओं के साथ एकृकित/समेकित कार्य किया जा सकता है।